(7)

–आम सूचना–

LAND ACQUITION FORM I-A [PARAGRAPH 17]

न्यायालय उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी,पिथौरागढ़।

अन्तर्गत धारा–21(1) भू–अर्जन अधिनियम पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2013,

वाद संख्या– 12/2018–19

समस्त ग्रामवासी, /भू–स्वामी

ग्राम–कालिका (गोठी), पटवारी क्षेत्र धारचूला,तहसील धारचूला, जिला–पिथौरागढ़।

द्वारा:–तहसीलदार, धारचूला

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जनपद पिथौरागढ़ तहसील धारचूला, पटवारी क्षेत्र धारचूला, के अन्तर्गत 11वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल डीडीहाट द्वारा सीमा चौकी गोठी के स्थापनार्थ ग्राम कालिका 0.190 है0 भूमिधरों की नाप भूमि को **भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण करने हेतु उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग–5 की शासकीय अधिसूचना संख्या–18/XX (5)/20-01 (अर्द्ध0सै0)/2019 दिनांक 04.08.2020 धारा–19(1)/40(4) के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है।** जिसका कब्जा प्राप्त कर 11वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल डीडीहाट, पिथौरागढ को हस्तान्तरण किया जाना है।

अतः उक्त भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति अपने–अपने हितों के स्वरूप और ऐसे हितों के लिए प्रतिकर की धनराशि और प्रतिकर के अपने अपने दावों की विशिष्टियों एवं भूमि के माप के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति (यदि कोई हो) को दिनॉक 02.11.2020 को 10 बजे दिन में उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी/कलैक्टर भूमि अध्याप्ति, पिथौरागढ़ के समक्ष स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। वाद मियाद किसी प्रकार के दावे/आपत्तियॉ स्वीकार्य नही होगी।

आज दिनांक 27.09.2020 को मेरे न्यायालय की मुहर व हस्ताक्षरों से जारी किया गया।

संलग्न–अधिसूचना संख्या–18/XX(5)/20-01 (अर्द्ध0सै0)/2019 दिनांक 04.08.2020,

उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी/
कलक्टर भूमि अध्याप्ति,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को वेबसाइट/नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।

1–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना को जनपद से सम्बन्धित शासकीय वेबसाइट में प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

2–नोटिस बोर्ड उप जिलाधिकारी, धारचूला।

3–नोटिस बोर्ड तहसीलदार कार्यालय, धारचूला।

4–प्रधान, ग्राम पंचायत कालिका(गोठी) द्वारा तहसीलदार, धारचूला।

5–पटवारी धारचूला को, द्वारा तहसीलदार, धारचूला के लोक सूचना की 02 प्रतियॉ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति सार्वजनिक स्थल पर आम जनता के सूचनार्थ चस्पा करने उपरान्त एक प्रति में समस्त खातेदारों/ग्रामवासियों के तामील स्वरूप सतिथि हस्ताक्षर लेने उपरान्त अभिलेख हेतु अपनी आख्या सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

6–नोटिश बोर्ड,जिला कार्यालय पिथौरागढ।

स्थान–जिला कार्यालय, पिथौरागढ़।

दिनॉकः–सितम्बर, 30 2020

उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी/
कलक्टर भूमि अध्याप्ति,
पिथौरागढ।

उ0भू0अ0अधि0

कार्यालय
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
पत्रांक 8318 / दिनांक 25-8-2020

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–05
संख्याः18 /XX(5)/20–01(अर्द्ध0सै0)2019
देहरादूनः दिनांक 4 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2020

जि0अ0
11 AUG 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिका अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष, 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 40 की उपधारा (4) व उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुये जारी की गयी अधिसूचना संख्या–643/XX(5)/19–01(अर्द्ध0सै0)/2019 दिनांक–15.11.2019 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के परगना धारचूला, ग्राम–कालिका (गोठी) म 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल डीडीहाट की सीमा चौकी गोठी का स्थापनार्थ हेतु, निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित 0.190 है0 भूमि की आवश्यकता है। अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते है कि उक्त भूमि का अर्जन करन की कार्यवाही करें।

चूंकि, राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि (धारा 23 के अधीन) कोई अधिनिर्णय नही दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा ले सकते हैं।

– अनुसूची–

जिला	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या0	क्षेत्रफल(है0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	धारचूला	कालिका (गोठी)	6758 म0,	0.009
			6759 म0,	0.012
			6760	0.006
			6762 म0,	0.006
			6763 म0,	0.021
			6764	0.020
			6765	0.086
			6798 म0,	0.020
			6799 म0	0.010
			योग	**0.190**

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलैक्टर पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

(कृष्ण कुमार वी0के0)
अपर सचिव।

Para Me...Rawat.......letter.......2016...